



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 637 राँची, मंगलवार,

8 अक्टूबर, 2024 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

1 अक्टूबर, 2024

विषय:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से अनाच्छादित सुपात्र लाभुकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य योजनान्तर्गत संचालित "झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (Jharkhand State Food Security Scheme)" को संशोधित रूप में संचालन की स्वीकृति।

संख्या:- खा०प्र०-01/झा०रा०खा०सु०यो०/06-7/2020 - 2402--राज्य में माह अक्टूबर, 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू है। अधिनियम के प्रावधानानुसार खाद्यान्न वितरण की दो योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं -

- अन्योदय अन्न योजना, जिसके अन्तर्गत लाभुकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से वितरित किया जाता है,
- पूर्वविकता प्राप्त गृहस्थ योजना, जिसके अन्तर्गत लाभुकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह की दर से वितरित किया जाता है।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य की 86.48% ग्रामीण आबादी एवं 60.20% शहरी आबादी को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इस आधार पर भारत सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या 2,64,25,385 निर्धारित की गयी है। वर्तमान में अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत लाभुकों को आच्छादित किया जा चुका है।

3. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर ही अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें वृद्धि अगली जनगणना आँकड़ों के आधार पर ही संभव है।

वर्ष 2011 की जनगणना आँकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या 3,29,88,134 है। जबकि राज्य के लिए जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर 22.3% है। इस वृद्धि दर के आलोक में राज्य की वर्तमान जनसंख्या 4 करोड़ के आस-पास होने का अनुमान लगाया जा सकता है।

4. वर्तमान में कई ऐसे लाभुक हैं, जो अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित होने हेतु पात्रता रखते हैं किन्तु रिक्तियाँ नहीं होने के कारण उन्हें आच्छादित करना संभव नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार ऐसे लाभुक पात्रता रखने के बावजूद भी खाद्यान्न के लाभ से वंचित हैं।
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-32 के तहत केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार को खाद्य आधारित कल्याण योजनाओं का संचालन जारी रखने अथवा ऐसी योजनाओं का सूत्रण करने का अधिकार दिया गया है।
6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित सुपात्र लाभुकों को प्रति लाभुक 05 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रतिमाह उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य में "झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा Jharkhand State Food Security Scheme" लागू किये जाने का निर्णय विभागीय संकल्प संख्या-2413 दिनांक 15.09.2020 द्वारा लिया गया था।
7. योजनान्तर्गत लाभुकों का लक्ष्य 15 लाख पूर्ण होने के बावजूद योग्य लाभुक अनाच्छादित रह जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प संख्या-2559, दिनांक 01.09.2022 द्वारा लाभुकों का लक्ष्य 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया एवं जिलावार लक्ष्य का निर्धारण किया गया।

वर्तमान में झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 16,45,131 लाभुक आच्छादित हैं। दिनांक 07.08.2024 के आँकड़ों के अनुसार 7,40,340 नये लाभुकों को आच्छादित करने तथा 49,370 सदस्यों को जोड़ने हेतु आवेदन लंबित है। वर्णित स्थिति में लाभुकों के लक्ष्य को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख निर्धारित किया जाता है। विभाग द्वारा यथावश्यक जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जा सकेगा।

8. खाद्य, एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत 01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक मुफ्त खाद्यान्न वितरण करने के दिशा-निर्देश के अनुरूप झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत दिनांक 01 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक खाद्यान्न का मुफ्त वितरण की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या-802, दिनांक 06.03.2023 द्वारा दी गई है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- 5241(अ), दिनांक 04.12.2023 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत दिसम्बर, 2023 तक मुफ्त खाद्यान्न वितरण की जा रही व्यवस्था को 31 दिसम्बर 2028 तक विस्तारित किया गया है।

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित होने के लिए लाभुकों का मापदण्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादन के मापदण्ड के अनुरूप है। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों के अनुरूप झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से मुफ्त खाद्यान्न (चावल) वितरण को अगले आदेश तक विस्तारित किया जाता है।

9. इस योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को आच्छादित किया जाना है जिसके चयन हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किये गये हैं:-

समावेशन मानक (Inclusion Criteria)

- (a) सभी व्यक्ति, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हों।
- (b) सभी विधवा, परित्यक्ता एवं Transgender, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/ प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/ न्यास, इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत्त न हों।
- (c) 40 प्रतिशत या इससे अधिक की विकलांगता वाले वैसे सभी निःशक्त, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/ प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हों।
- (d) सभी आदिम जनजाति (PVTG- Particularly Vulnerable Tribal Group) के सदस्य जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/ न्यास, इत्यादि में नियोजित न हों।
- (e) सिविल सर्जन से अन्यून पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/ उद्यम/प्रक्रम/ उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हों।
- (f) अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/ नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित न हों।
- (g) सभी भिखारी एवं गृहविहीन व्यक्ति।
- (h) कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/झाड़ूकश (Sweeper)।
- (i) निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (Construction Worker)/राजमिस्त्री (Mason)/ अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour)/घरेलू श्रमिक (Domestic Worker)/कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load worker) /रिक्शाचालक (Rickshaw Puller)/ठेला चालक (Thela/ Hand Cart Puller)।
- (j) फुटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फेरीवाला (Hawker)/छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)/पेन्टर (Painter)/वेल्डर (Welder)/बिजली मिस्त्री (Electrician)/ मैकेनिक (Mechanic)/ दर्जी (Tailor)/ नलसाज (Plumber) /माली (Mali)/धोबी (Washerman)/मोची (Cobbler)।

अपवर्जन मानक (Exclusion Criteria)

- (a) वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/ उद्यम/ प्रक्रम/ उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/ नगरपालिका/ न्यास, इत्यादि में नियोजित हो, अथवा;
 - (b) वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य आयकर/सेवा कर/ व्यवसायिक कर/GST देता हो, अथवा;
 - (c) वैसे परिवार, जिनके पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो, अथवा;
 - (d) वैसे परिवार, जिनके पास चार पहिया मोटर वाहन (Four Wheeler Vehicle) अथवा इससे अधिक पहिया के वाहन हों, अथवा;
 - (e) वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक हो, अथवा;
 - (f) सरकारी आवास योजनाओं से अनाच्छादित वैसे परिवार, जिनके पास कमरों में पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान हो, अथवा;
 - (g) वैसे परिवार, जिनके पास 5 लाख या इससे अधिक लागत का मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, थ्रेसर इत्यादि) हो।
10. 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विवाहित/विधवा/परित्यक्ता महिला सदस्य परिवार की मुखिया होंगी तथा इसी के अनुरूप आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विवाहित/विधवा/परित्यक्ता महिला सदस्य न होने की स्थिति में सबसे अधिक आयु के पुरुष सदस्य संबंधित परिवार के मुखिया होंगे, किन्तु परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विवाहित/विधवा/परित्यक्ता महिला आ जाने की स्थिति में महिला सदस्य ही संबंधित परिवार के मुखिया होंगी।
11. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे जिसमें आवेदकों की सम्पूर्ण विवरणी, स्वघोषणा के साथ-साथ आधार संख्या इत्यादि सूचनाएँ अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। किसी कारणवश ऑनलाईन आवेदन पत्र समर्पित किये जाने में समस्या होने की स्थिति में ऑफलाईन आवेदन पत्र समर्पित किये जा सकेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पूर्व में आवेदकों द्वारा समर्पित आवेदन को इस योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आवेदक का Aadhar Authentication/e-KYC यथावश्यक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समावेशन/अपवर्जन मानक के आलोक में पात्रता की जाँच पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/संबंधित उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत कर्मी द्वारा किया जाएगा। जाँच के क्रम में जाँच पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से आवेदक के घर जाकर निर्धारित समावेशन/अपवर्जन मानकों के आलोक में आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पात्र लाभुकों को राशनकार्ड निर्गत करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
12. लाभुकों का आच्छादन निम्नवत् प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा:-
- (i) आदिम जनजाति परिवार,

- (ii) विधवा/परित्यक्ता/Transgender,
 - (iii) 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति,
 - (iv) कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित,
 - (v) अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार,
 - (vi) अनुसूचित जनजाति,
 - (vii) अनुसूचित जाति,
 - (viii) अन्यान्य।
13. जिला आपूर्ति पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी द्वारा योजना के तहत लाभुकों को हरा रंग का राशनकार्ड निर्गत किया जाएगा। यह राशनकार्ड विभागीय पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकेगा।
14. जिला आपूर्ति पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी द्वारा लाभुकों को खाद्यान्न (चावल) उपलब्ध कराने हेतु उन्हें नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकान से संबद्ध किया जाएगा।
15. इस योजनान्तर्गत आच्छादित वैसे लाभुकों का क्रमवार वरीयतानुसार स्थानान्तरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध किया जायेगा जो कम से कम 06 (छः) माह तक लगातार अथवा एक वर्ष में 06 (छः) बार खाद्यान्न का उठाव कर चुके हैं, वशर्ते कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत आच्छादित राशनकार्डधारियों का उस जिले में Member Addition संबंधी आवेदन लंबित नहीं हो। निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में निर्णय लिया जाएगा जिसके आलोक में निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा स्थानान्तरण की कार्रवाई की जाएगी। उक्त समिति में संबंधित जिला के विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा NIC झारखण्ड, राँची के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित लाभुकों को निम्नवत् प्राथमिकता के आधार पर स्थानान्तरण की कार्रवाई की जाएगी:-
- (i) आदिम जनजाति परिवार,
 - (ii) विधवा/परित्यक्ता/Transgender,
 - (iii) 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति,
 - (iv) अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार,
 - (v) अनुसूचित जनजाति,
 - (vi) अनुसूचित जाति,
 - (vii) अन्यान्य।
16. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित वैसे लाभुकों का स्थानान्तरण झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध किया जायेगा जो कम से कम लगातार 06 (छः) माह तक खाद्यान्न का उठाव नहीं किये हों। निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में निर्णय लिया जाएगा जिसके आलोक में निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा स्थानान्तरण की कार्रवाई की जाएगी। उक्त समिति में संबंधित जिला के विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा NIC झारखण्ड, राँची के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
17. खाद्यान्न (चावल) की प्राप्ति धान अधिप्राप्ति योजना से तैयार CMR (Customized Milled Rice) से किया जाएगा। धान अधिप्राप्ति योजना से चावल की प्राप्ति की स्थिति में भारत सरकार द्वारा संबंधित खरीफ विपणन वर्ष के लिए चावल के लिए निर्धारित Cost Sheet के अनुसार अनुमान्य Incidentel सहित

चावल का दर तथा धान एवं चावल का परिवहन हेतु संबंधित वर्ष में अनुमान्य राशि झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को दिया जाएगा। यदि CMR (Customed Milled Rice) उपलब्ध नहीं हो पाता है तो भारतीय खाद्य निगम/किसी अन्य राज्य के खाद्य निगम से चावल का क्रय करते हुए योजना कार्यान्वित किया जाएगा।

उपर्युक्त विकल्पों से योजनान्तर्गत चावल का आपूर्ति संभव नहीं होने की स्थिति में निविदा की प्रक्रिया कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या-1610, दिनांक 26.12.2022 के आलोक में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा संपन्न की जाएगी। निविदा की शर्तें विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी। चयनित आपूर्तिकर्ता द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रखण्ड स्थित गोदामों तक खाद्यान्न पहुँचाया जाएगा, जिसके लिए आपूर्तिकर्ता को अलग से परिवहन शुल्क नहीं दिया जाएगा। निविदा के माध्यम से खाद्यान्न (चावल) की आपूर्ति यथासंभव 05 किलोग्राम के बंद पैकेट में ली जाएगी।

खाद्यान्न (चावल) के दर के अनुरूप गुणवत्तायुक्त चावल के वितरण का निरंतर अनुश्रवण किया जाएगा।

18. खाद्यान्न (चावल) का मूल्य का भुगतान निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची द्वारा किया जाएगा। इस हेतु निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय द्वारा यथावश्यक राशि की अग्रिम निकासी भी की जा सकती एवं निकासी की गई अग्रिम राशि का ससमय समायोजन किया जाएगा।

19. भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न (चावल) प्राप्त करने की स्थिति में विभागीय संकल्प संख्या-491, दिनांक 11.02.2016 के आलोक में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को 75 रुपये प्रति क्विंटल की दर से संचलन अनुदान दिया जाएगा, जिसका भुगतान संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम तक खाद्यान्न के हथालन-परिवहन हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को देय संचलन अनुदान की दर में कालक्रम में होने वाली वृद्धि झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत भी प्रभावी होगी।

धान अधिप्राप्ति योजना से चावल प्राप्त करने अथवा चयनित आपूर्तिकर्ता द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम तक खाद्यान्न (चावल) की आपूर्ति किये जाने की स्थिति में खाद्यान्न (चावल) के सुरक्षित भंडारण हेतु 25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भंडारण शुल्क झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को देय होगा, जिसका भुगतान संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

20. झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकान तक खाद्यान्न (चावल) के डोर स्टेप डिलिवरी हेतु विभागीय संकल्प संख्या-491, दिनांक 11.02.2016 के आलोक में अधिकतम 40 रुपये प्रति क्विंटल की दर से व्यय भारित होगा जिसका भुगतान संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकान तक खाद्यान्न के डोर स्टेप डिलिवरी की दर में कालक्रम में होने वाली वृद्धि झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत भी प्रभावी होगी।

21. जनवरी, 2023 से लाभुकों को योजनान्तर्गत मुफ्त में खाद्यान्न वितरण किये जाने के फलस्वरूप जन वितरण प्रणाली दुकानदार को देय डीलर कमीशन (100.00 रुपये प्रति क्विंटल) की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा राज्य-निधि से किये जाने का निर्णय विभागीय संकल्प संख्या-802, दिनांक 06.03.2023 द्वारा लिया गया है।

विभागीय संकल्प संख्या-804, दिनांक 11.03.2024 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न वितरण कार्य के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को देय डीलर कमीशन की

राशि को 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है, जो माह अप्रैल 2024 से प्रभावी है। वर्णित परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरण कार्य के लिए जनवितरण प्रणाली दुकानदारों को देय डीलर कमीशन में वृद्धि अपेक्षित है जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को वितरित खाद्यान्न के विरुद्ध देय कमीशन में एकरूपता बनी रहे।

उक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.04.2024 के प्रभाव से वितरित खाद्यान्न के विरुद्ध जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को 150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से डीलर कमीशन का भुगतान निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

22. खाद्यान्न का वितरण लाभुकों का Biometric Authentication के आधार पर e-PoS मशीन के माध्यम से जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा किया जाएगा। Biometric Authentication नहीं हो पाने की स्थिति में अपवाद के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। साथ ही वैसे जन वितरण प्रणाली दुकान जहाँ Network Connectivity कमजोर है, वहाँ विभाग के अनुमोदनोपरान्त ऑफलाईन Mode में e-PoS मशीन द्वारा खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।

23. 25 लाख लाभुकों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण कार्य के लिए 4,000/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से चावल का अनुमानित मूल्य आकलित करते हुए संभावित वार्षिक व्यय राशि की गणना निम्नवत् है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

लाभुक का लक्ष्य	वितरण होने वाली खाद्यान्न (चावल) की वार्षिक मात्रा (क्विंटल में)	खाद्यान्न (चावल) क्रय पर व्यय (4000 रुपये प्रति क्विंटल)	खाद्यान्न के भण्डारण तथा डोर स्टेप डिलिवरी पर व्यय (25+40 त्र 65 रुपये प्रति क्विंटल)	डीलर कमीशन की दर (रुपये प्रति क्विंटल में)	डीलर कमीशन पर व्यय (करोड़ रुपये में)	कुल अनुमानित वार्षिक व्यय (करोड़ रुपये में)
A	B	C	D	E	F	G = C+D+F
20 लाख	1200000.00	480.00	7.80	100.00	12.00	499.80
20 लाख	1500000.00	600.00	9.75	150.00	22.50	632.25
राजकोष पर अनुमानित अतिरिक्त व्यय भार		120.00	1.95	50.00	10.50	132.45

(i) 20 लाख लाभुकों के लिए खाद्यान्न (चावल) क्रय पर वार्षिक व्यय 480.00 करोड़ रुपये संभावित है, जबकि 25 लाख लाभुकों के लिए खाद्यान्न (चावल) क्रय पर वार्षिक व्यय 600.00 करोड़ रुपये संभावित है। इस प्रकार खाद्यान्न (चावल) क्रय पर 120.00 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार संभावित है।

(ii) 20 लाख लाभुकों के लिए खाद्यान्न (चावल) वितरण हेतु भंडारण तथा डोर स्टेप डिलिवरी मद में वार्षिक व्यय 7.80 करोड़ रुपये संभावित है, जबकि 25 लाख लाभुकों के लिए खाद्यान्न (चावल) वितरण हेतु भंडारण तथा डोर स्टेप डिलिवरी मद में वार्षिक व्यय 9.75 करोड़ रुपये संभावित है। इस प्रकार भंडारण तथा डोर स्टेप डिलिवरी मद में 1.95 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार संभावित है।

(iii) 20 लाख लाभुकों के लिए खाद्यान्न (चावल) वितरण हेतु 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से डीलर कमीशन मद में वार्षिक व्यय 12.00 करोड़ रुपये संभावित है, जबकि 25 लाख लाभुकों के

लिए खाद्यान्न (चावल) वितरण हेतु 150 रुपये प्रति किंटल की दर से डीलर कमीशन मद में वार्षिक व्यय 22.50 करोड़ रुपये संभावित है। इस प्रकार डीलर कमीशन मद में 10.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार संभावित है।

- (iv) अतः 20 लाख लाभुकों को मुफ्त खाद्यान्न (चावल) वितरण हेतु 499.80 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय भार संभावित है जबकि 25 लाख लाभुकों को मुफ्त खाद्यान्न (चावल) वितरण हेतु 632.25 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय भार संभावित है। इस प्रकार 25 लाख लाभुकों को मुफ्त खाद्यान्न (चावल) वितरण हेतु 132.45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार संभावित है।

24. झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत राशि का व्यय निम्नलिखित बजटशीर्ष अंतर्गत किया जाएगा:-

3456-सिविल पूर्ति-00-796/102/789-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/सिविल पूर्ति योजना/अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-66-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित गरीब लाभुकों को खाद्यान्न वितरण योजना -00-06-अनुदान-52-सब्सिडी (विपत्र कोड-18-S-3456-00-796-66-01-06-52, 18-S-3456-00-102-66-01-06-52, 18-S-3456-00-789-66-01-06-52)

25. विभागीय संकल्प संख्या-2413, दिनांक 15.09.2020 संकल्प संख्या-2743, दिनांक 21.10.2020, संकल्प संख्या-2559, दिनांक 01.09.2022, संकल्प संख्या-802, दिनांक 06.03.2023 तथा संकल्प संख्या-3515, दिनांक 13.12.2023 को विलोपित किया जाता है।

26. उक्त से संबंधित विभागीय संलेख ज्ञापांक-2278, दिनांक 20.09.2024 पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 27.09.2024 की बैठक की मद संख्या-01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमा शंकर सिंह,
सरकार के प्रभारी सचिव।
